

डॉ० एस० सिद्धार्थ, भा० प्र० से०

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग,
बिहार सरकार



विकास भवन, पटना - 800 015
फोन : 0612 - 2217016 (कार्यालय)
फैक्स : 0612 - 2235108
ई-मेल : secy-edn-bih@nic.in

पत्रांक- म०भो०/को०-ES/43/2022-328..

दिनांक 05/02/2025

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी
बिहार।

विषय:- विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में प्रतिदिन प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशया/महाशय,

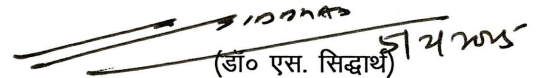
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना (वर्ग 1 से 8) में फर्जी उपस्थिति को रोकने तथा भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन परोसने के उपरान्त एक प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। उक्त प्रतिवेदन प्रमाण-पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के साथ-साथ सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अंकित होगा। यह प्रपत्र उक्त तिथि के मध्याह्न भोजन के सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जायेगा।

स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में संबंधित विद्यालयों से पूरे माह का संदर्भित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा संबंधित स्वयं सेवी संस्थाओं को भुगतान किया जायेगा। उक्त प्रमाण-पत्र की प्रति सभी विद्यालयों में भी तिथिवार संरक्षित कर रखा जायेगा। यदि किसी तिथि को संचालित मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या बच्चों की संख्या से कोई शिक्षक असहमत है तो अपनी असहमति का कारण भी उक्त प्रमाण-पत्र पर अंकित करेगा। उक्त प्रमाण-पत्र पर उपस्थित सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर अंकित नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जायेगा।

उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रतिदिन तैयार किया जाय ताकि बच्चों को इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रमाण पत्र के बिना मध्याह्न योजना का कोई विपत्र मान्य नहीं होगा। इसे अत्यावश्यक समझें।

अनुलग्नक:- प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

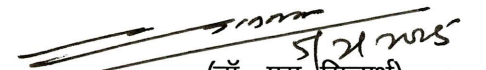
विश्वासभाजन


(डॉ० एस. सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:- 328 / दिनांक:- 05/02/2025

प्रतिलिपि:- सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


(डॉ० एस. सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

मध्याह्न भोजन योजना का रिपोर्ट

तिथि:-.....

विद्यालय का नाम:-.....प्रखंड का नाम:-.....जिला का नाम:-.....

मध्याह्न भोजन का संचालन :- विद्यालय शिक्षा समिति- ☐ स्वयं सेवी संस्था ☐
(बॉक्स में ✓ सही का निशान लगायें)

वर्ग	वर्ग -1	वर्ग- 2	वर्ग- 3	वर्ग- 4	वर्ग- 5	वर्ग- 6	वर्ग- 7	वर्ग- 8	कुल
भौतिक उपस्थिति									
मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या									
अण्डा खाने वाले बच्चों की संख्या (शुक्रवार)									
मौसमी फल सेव या केला खाने वाले बच्चों की संख्या (शुक्रवार)									

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी आंकड़े सही हैं और परोसा गया मध्याह्न भोजन निर्धारित मेनू एवं मात्रा के अनुसार है। भोजन की गुणवत्ता अच्छी है। मध्याह्न भोजन बच्चों को हमारे समक्ष परोसा गया है।

विद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर :-

1.	2.
3.	4.
5.	6.
7.	8.
9.	10.

विद्यालय प्रधानाध्यापक/प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

असहमति (यदि उपरोक्त प्रतिवेदन से कोई शिक्षक असहमत है तो कारण).....

.....

असहमत शिक्षक का हस्ताक्षर एवं नाम

नोट: इस प्रपत्र के बिना कोई मध्याह्न भोजन का विपत्र मान्य नहीं होगा। प्रतिवेदन गलत होने पर सहमति व्यक्त करने वाले सभी शिक्षकों पर एकमुश्त कार्रवाई होगी।